ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 1 JAN 2021

19 वी शताब्दी में भारत में महिलाओं की दशा और महिला समाज सुधारकों के प्रयास

आरती,शोधार्थी
डॉ सपना गहलोत,शोध निर्देशक
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय,जयपुर,राजस्थान

शोध सारांश

महिला की समाज में स्थिति के सुधार के लिये वैसे तो वर्षों से प्रयास किये जा रहे है। भारत में प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के बाद आवश्कता होती है, कि जब प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति सामाजिक तौर पर इतनी अच्छी होने के बाबजूद इस प्रकार का परिवर्तन कैसे देखने को मिला। भारत में आखिर महिलाओं की दुदर्शा कैसे हो गयी। भारतीय समाज को महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिये क्यों मजबूर होना पड़ा। विचारधाराओं में परिवर्तन आने के बाद जैसे ही आधुनिक विचारधारा का प्रचलन बढ़ा। विकसित देशों की विचारधारा का अनुसरण करने की प्रवृत्ति का विकास भारत में हुआ। वैसे ही भारतीय मानवीय सोच में परिवर्तन भी देखने को मिला है। आधुनिक विचारधारा और दृष्टिकोण में 19 वीं शताब्दी में समाज सुधारकों का प्रगतिशील पक्ष देखने को मिलता है। भारतीय समाज सुधारकों ने 19 वी शताब्दी में महिलाओं की उन्नति और प्रगति के लिये जो प्रयास किये, वो सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिये उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते है। इस प्रकार से कहा जा सकता है, कि आधुनिक विचारधारा एवं दृष्टिकोण से 19वीं सदी के समाज सुधारकों को प्रगतिशील सामाजिक तत्त्वों के प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग मिला।

की वर्ड-समाज सुधारक,सामाजिक तत्व,विचारधारा,समाज सुधारक

प्रस्तावना

महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में काम करने वाले समाज सुधार के क्रम में सुधारकों का ध्यान तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों की ओर गया। इसी क्रम में महिलाओं की दशा में सुधार कैसे करना है, यह यक्ष प्रश्न चुनौती के रूप समाज सुधारकों के सामने खड़ा हो गया। यही वह समय था, जब ईसाई मिशनरियों एवं पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त बुद्धिजीवियों ने महिलाओं की पतनोन्मुख दशा के उन्नयन के लिए अनेक प्रयास शुरू कर दिये थे। भारत में इस दिशा में अनेक समाज सुधारकों ने अपनी पूरा जीवन की खपा दिया। समाज सुधारकों ने इस

Copyright@2021Authors

दिशा में अनेक प्रकार के काम किये। जागरूकता के लेकर आंदोलन तक संचालित किये गये। इस दिशा में सर्वप्रथम कदम राजा राम मोहन राय ने उठाया।

19 वीं शताब्दी में समाज में फैली सामाजिक कुरीतियां

इस दौर में भारतीय समाज में महिलाओं से सम्बधित अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ मौजूद थीं। इन कुरीतियों भारतीय समाज को खोंखला करने का काम कर रही है। यह भी यह भी कहा जा सकता है कि इन कुरीतियों के चलते ही समाज विकास की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। यही कुरीतियां भारतीय समाज के विकास के पथ पर अवरोधक बनकर खड़ी थी। इन कुरीतियों में प्रमुख इस प्रकार थी।

1-बाल-विवाह

2-शिशु-हत्या,

3-सती-प्रथा

4-विधवाओं की दयनीय दशा तथा

5-निम्न-स्तरीय नारी शिक्षा आदि प्रमुख रूप से विद्यमान थी।

सरकारी और गैर सरकारी प्रयास

अग्रेजी शासनकाल के दौरान में इस प्रकार की समस्याओं को खत्म करने के प्रयास अग्रेजों ने ही शुरू कर दिये थे। यानि यह कहा जा सकता है, कि ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कुछ बुराइयों को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाने की शुरूआत कर दी थी। 1793 एवं 1804 के बंगाल रेगुलेशन एक्ट द्वारा शिशु-हत्या पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई। अग्रेजों के यह प्रयास सार्थक परिवर्तन नहीं कर पाये और सभी कानूनी कदम भी बेकार हो गये। इन कानूनों में जो अभाव था, कि ये कानून समाज में चेतना का विकास नहीं कर पाये और महिलाओं से सम्बंधित कुरीतियाँ समाज में जस की तस बनी रहीं। ब्रिटिश सरकार इन कुरीतियों के खिलाफ थी और इन कुरीतियों को दूर करने के कुछ प्रयास भी किये, लेकिन उस दौर के भारतीय सामाजिक ताने-बाने ने सरकार के इस प्रयासों के विफल कर दिया। महिलाओं की दशा में सुधार लाने के लिए सबसे पहले संगठित प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। उन्होंने समाज में व्याप्त इन कुरीतियों के खिलाफ वैचारिक आन्दोलन चलाने का फैसला किया। कुछ सालों तक वैचारिक आंदोलन संचालित करने के बाद व्यावहारिक स्तर पर भी आंदोलन को संचालित करने के प्रयास किये। राजा राम मोहन राय बहुविवाह, कुलीनवाद तथा सती-प्रथा आदि का विरोध करने के अतिरिक्त स्त्रियों को सम्पत्ति में उत्तराधिकारी बनाने की भी वकालत की। उनके लगातार प्रयास का ही यह परिणाम था, कि लॉर्ड बैंटिक ने 4 दिसम्बर, 1829 को अधिनियम -17 पारित कर

 Copyright@2021Authors

सती-प्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। इन कुरीतियों के खिलाफ यह पहली सफलता था, जो राजा राम मोहन राय की अगुवाई में मिली थी।

इसके बाद राजा राम मोहन राय के समकालीन समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा-विवाह के खिलाफ सामाजिक चेतना के प्रचार-प्रसार करने का बीड़ा उठाया। उन्होने विधवा-विवाह को सामाजिक एवं कानूनी मान्यता दिलाये जाने के लिए आजीवन प्रयास किये। उनके प्रयासों का ही प्रतिफल था कि 1856 ई. में हिन्दू विधवा-पुनर्विवाह कानून के रूप में देखी जा सकती है। हिन्दू विधवा-पुनर्विवाह कानून को मान्यता मिलने से इन कुरीतियों के खिलाफ जंग लड़ रहे समाज सुधारकों को काफी बल दिया। इस कानून की दो प्रकार से व्याख्या की गयी।

1-पहला इस कानून से सती-प्रथा के उन्मूलन के साथ समाज सुधार के लिए सरकारी विधि-निर्माण माहौल तैयार होने की संभावना नजर आने लगी।
2-दूसरा, सती-प्रथा के वास्तविक उन्मूलन के लिए विधवाओं की दशाओं में सुधार होने की उम्मीद दिखाई देने लगी।

19 वी शताब्दी के प्रमुख महिला समाज सुधारक

1-पंडित रमाबाई(1859 से 1922) के बीच में स्त्री शिक्षा और महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास में जुटी रही।

2-सुब्बालक्ष्मी(1886 से 1996) के बीच बाल विवाह के खिलाफ निषेध संबंधी कानून पारित कराया। वे मद्रास प्रेसीडेंसी की प्रथम हिन्दू विधवा थीं। इन्होने खुद स्नातक स्तर तक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होने बाल विधवाओं के कल्याण के लिये उच्चस्तरीय प्रयास करना शउरू कर दिये। इन्होंने 18 वर्ष तक की आयु की बाल-विधवाओं के लिए “आइस हाउस” की स्थापना की। इसके अलावा वयस्क विधवाओं के लिए “शारदा विद्यालय” नामक एक हाईस्कूल की स्थापना की।

3-गंगाबाई(1893 से 1937) के बीच को महिला शिक्षा को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गंगाबाई दक्षिण भारतीय महिला थीं।महिला शिक्षा की दिशा में काम करने के चलते ही इनको महारानी तपस्विनी के नाम पहचान मिली। गंगाबाई हिन्दू धार्मिक एवं नैतिक सिद्धातों के अनुरूप महिला शिक्षा का प्रचार-प्रसार के पक्ष में रही। इन्होंने 1893 ई. में कलकत्ता

 Copyright@2021Authors

में महाकाली पाठशालाकी स्थापना की। इसके बाद इस पाठशाला की कई शाखाओं का संचालन भी किया।

4-ईश्वरचन्द्र विद्यासागर(1820-1891) ने बंगाल में सामाजिक चेतना लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।ईश्वरचन्द्र विद्यासागर सुविख्यात विद्वान् एवं समाज सुधारक थे। उन्होने उस दौर में गैर ब्राह्मओं को संस्कृत की शिक्षा के लिये प्रोत्साहित किया। पहली बार किसी ने ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी। इसके बाद विधवा विवाह के लिये आंदोलन का संचालन किया और विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन किया। 1855-1856 के बीच 25 विधवाओं का पुनर्विवाह कराकर इस अभियान को नयी दिशा दे दी। 1955 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगुवाई में ब्रिटिश सरकार के एक याचिका सौंपी गयी,जिसके बाद लॉर्ड डलहौजी की अगुवाई में 26 जुलाई, 1856 को विधवापुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया।

5-डी.के. कर्वे (1858-1962) ने महिलाओं की दशा सुधारने की दृष्टि से सर्वाधिक लम्बे समय कार्य करने का गौरव प्राप्त किया। उन्होने विधवा-पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, साथ ही पुणे में अनेक महिला विद्यालयों तथा विधवा-गृहों की स्थापना भी की। 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है।

6 पंडित विष्णु शास्त्री महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक विष्णु शास्त्री पंडित का पूरा जीवन विधवाओं के कल्याण के लिए प्रयासरत रहा. इन्होंने "विधवा-विवाह" नामक पुस्तक का मराठी में अनुवाद किया। इसके अलावा 1850 में विधवा-पुनर्विवाह सभा की स्थापना भी की।

7-सावित्रीबाई फुले-महाराष्ट्र की सावित्रीबाई पुले को भारत की सबसे पहली महिलावादी कहा जाता है। ब्रिटिश राज में उन्होंने स्त्रियों के शिक्षाधिकार के लिए बड़ा संघर्ष किया।1848 में वे भारत की पहली महिला शिक्षा बनीं और उन्होंने अपने समाज सुधारक पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोला।उन्होने जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध भी काम किया था जिसके लिए उन्हें पुणे के परम्परावादी समुदायों का प्रतिरोध झेलना पड़ा था।
इसके बाद शुरू हुआ नारी शिक्षा के विकास हेतु कई कदम उठाने का सिलसिला। इसी काल में नारी शिक्षा के विकास के लिये अनेक प्रकार के कदम उठाये गये। इसमें ईसाई मिशनरियों की महत्वपूर्म भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। नारी शिक्षा के विकास के लिये सबसे पहले कलकत्ता में "तरुण स्त्री सभा" का गठन हुआ।इसके बाद बम्बई में एलफिन्सटन कॉलेज के छात्रों ने भी नारी शिक्षा के विकास के लिए कई कदम उठाये। इन्हीं दिनों बेथुन स्कूल की

 Copyright@2021Authors

स्थापना भी की गयी।इसके बाद समाज सुधारक ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने लगभग 35 विद्यालयों की स्थापना की।ये विद्यालय सिर्फ बालिकाओं की शिक्षा के लिये आरक्षित किये गये बाल-विवाह के उन्मूलन के लिए भी सुधारकों द्वारा अनेक प्रयास किये गये तथा उनके प्रयासों के फलस्वरूप सरकार ने समय-समय पर बाल-विवाह उन्मूलन के लिए कानून भी बनाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। बाल विवाह के लिये जो कानून बनाये गये,उनमें सबसे पहले

1-बी.एन. मालाबारी के प्रयास से 1891 ई. में एज ऑफ कंसेट बिल पारित हुआ।
2-इस कानून में प्रावधान किया गया कि 12 वर्ष या उससे कम आयु की बालिकाओं का विवाह निषिद्ध किया गया।
3-1872 ई. में ब्रह्म मैरज एक्ट पारित हुआ, जिसके प्रावधानों के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह कानून-विरुद्ध घोषित कर दिया गया।
4-महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु एक प्रमुख कानून था द्द 1930 ई. का शारदा एक्ट. इस कानून द्वारा विवाह-योग्य पुरुषों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा महिलाओं की 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई।

इन कानूनों ने समाज सुधारकों को समाज में काम करने का बल मिला। साथ ही महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये भी यह कानून मील का पत्थर साबित हुए।

महिला सुधार कार्यक्रमो की सीमाएं

प्रस्तुत अध्ययन करने के बाद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया 19 वीं शताब्दी से ही शुरू हो गयी। इस सुधार प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने भी कई सार्थक प्रयास किये। इसके अलावा कई समाज सुधारकों और विचारकों ने इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 19 वी शताब्दी में किये गये महिला सुधार कार्यक्रमों की कुछ सीमायें था।ये सीमायें निम्न प्रकार की थी.
1-भारत में समाज सुधार की प्रक्रिया एक औपनिवेशक शासन के अंतर्गत संचालित की जा रही थी।
2- इन सुधारवादियों आंदोलनों की पहल अभिजात्यवादी पुरुषों द्वारा की गई थी।
3-सुधारवादी आंदोलनों में पुरूषों की अगुवाई होने से इन्होनें महिलाओं के जीवन से सम्बंधित महज कुछ ही कुरीतियों पर प्रहार किया,जबकि कुछ को नजरअंदाज कर दिया।
4-पुरूष समाज सुधारक सामाजिक मर्यादा तथा पारिवारिक मर्यादा के उल्लंघन के विरोधी थे।यानि वे स्त्रियों की दशा में सुधार के पक्ष में तो थे, किन्तु महिलाओं की स्वाधीनता के पक्षधर नहीं थे।

 Copyright@2021Authors

5-इस दौरान यह आंदोलन विभिन्न धर्मो में अलग-अलग स्वरूप में विभाजित हो गया,क्योकि अलग-अलग धर्म अपने-अपने हिसाब से महिलाओं की दशा और दिशा का अवलोकन और परिभाषित करने का काम कर रही थी।

6-आगे चलकर इस आंदोलन का आधार ही धार्मिक आधार हो गया।

कुल मिलाकर महिला सुधार के आंदोलन ने जैसे ही रफ्तार पकड़ने का काम किया,वैसे ही धार्मिक बेड़ियों ने इस आंदोलन को जकड़ने का काम किया।अलग-अलग धर्म,संप्रदाय के कर्ता-धर्ता अपने-अपने धर्मों के हिसाब से इन सुधारों की सीमायें तय करने लगे। कुल मिलाकर दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं से सम्बंधित समस्याएँ और उनके सुधार के लिये किये जा रहे तमाम प्रकार के प्रयास धर्म एवं सम्प्रदाय की सीमाओं में ही बंधकर रह गये।यही वजह कही जा सकती है कि भारतीय संविधान में एक समान आचार संहिता लागू होने के बाबजूद भी एकसमान आचार-संहिता का निर्माण आज भी नहीं हो सका है।

निष्कर्ष

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है, कि 19वीं शताब्दी में महिलाओं की दशा और दिशा दोनों के सुधार के लिए निरंतर प्रयास किये जाते रहे।इन प्रयासों को कुछ हद तक सफलता भी मिली।महिलाओं के सुधार के लिये कुछ कानून आस्तिव में आये, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सुधार कुछ क्षेत्रों या कुछ धर्मों तक ही सीमित रहे गये। जहाँ तक इन कानूनों का सवाल है, तो ये इन कुरीतियों की व्यापकता को रोकने के लिए कोई अधिक कारगर सिद्ध नहीं हुए। कानूनों का क्रियान्वयन कराने वाले अफसर तंत्र की प्राथमिकता ब्रिटिस शासन को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले कारकों का संवर्द्धन करना था, न कि समाज सुधार जैसे कार्यक्रमों में। इस दौरान यह भी गौर करने वाली बात है कि कानून बनने यानि विधि-निर्माण होने के बावजूद भी इन कानूनों का वास्तविक क्रियान्वयन बहुत ही सीमित रहा। सरकारी रिकार्ड और आकड़ो के अनुसार 19 वी सदी में केवल 38 विधवाओं का विवाह हो पाया। इस प्रकार से सती-प्रथा के उन्मूलन के लिए कानून बनने के बावजूद सती-प्रथा के प्रति लोगों में आदर भाव बना रहा और धीरे-धारे यह धार्मिक तक हो गया। यही वजह रही कि सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक 19 वी शताब्दी में नहीं लग पायी और किसी-न-किसी रूप में साहित्य, मिथक अथवा कल्प-कथाओं के माध्यम से इसका आदर्शीकरण ही होता रहा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1-प्रभा खेतान, 'स्त्री उपेक्षिता', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।

 Copyright@2021Authors

2-कन्हैयालाल नन्दन, आधुनिक भारतरू परम्परा और भविष्य, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली।
3-गिड्स एन्थोनी, सोसियालोजी, प्रकाशनरू पोलिटी प्रैस, कैम्बिज, 1989
4-कमला भसीन 'भारतीय संदर्भ में नारी सशक्तिकरण' योजना, 9 सितम्बर 2016
5-जगजीत शर्मा 2015, 'आखिर क्यों नहीं बदलती महिलाओं की दशा',भोपाल(मप्र)
2-गौड़,के.के.(1998),ग्रामीण राजनीतिक अभिजन,क्लासिकल पब्लिकेशन,नई दिल्ली।
3-भार्गव,वी.एस(1979),भारत में ग्रामीणों का उदीयमान स्वरूप,मानक पब्लिकेशन,नई दिल्ली।
4-राष्ट्रीय महिसा सशक्तिकरण(2001),भारत में महिलाओं की स्थिति,राष्ट्रीय महिला आयोग,दिल्ली।
5-ललित,लट्टा(2001),महिला विकास योजनाओं और उनका क्रियान्वयन,कुरूक्षेत्र।
6-त्रिपाठी.आनंद कुमार(2002),वर्तमान पंचायती राज,वर्ष-03 देहरादून।
7-माहेश्वरी,आकांक्षा(2007),सशक्त नारी-सशक्त समाज,विद्या मेघ प्रकाशन,मेरठ(उत्तरप्रदेश)
8-कुमार,कौशल किशोन(2009),भारत में राजनैतिक नेतृत्व के विविध आयाम,भारती शोध पत्रिका,नई दिल्ली।
9-राधाकृष्णन,एस.एस.(2009),पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका,समस्या और समाधान, भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका,वर्ष-03,।
10-स्वामी(डॉ),आनंद ललित और किशोर(2008),महिला सशक्तिकरण क्यों और कैसे,आर. बी.एस.ए.पब्लिकेशर्स,दिल्ली।

 Copyright@2021Authors